



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

प्रयागराज, शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 ई०

(अग्रहायण 19, 1943 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश शासन

गृह विभाग

[पुलिस]

अनुभाग-9

संख्या 4968 / छ:पु०-9-21-20(10)(16) / 88 टी०सी०

लखनऊ, दिनांक : 10 दिसम्बर, 2021 ई०

अधिसूचना

(शक्ति)

प०आ०-416

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा दिसम्बर, 2021 (ANNUAL SYSTEM/DUAL SYSTEM OF TRAINING) के समस्त स्वकेन्द्रों के अधीक्षकों को दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 से 17 दिसम्बर, 2021 तक के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित केन्द्र, जिसके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

आज्ञा से,
बी०डी० पॉल्सन,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 4968/VI-P-9-21-20(10)(16)/88T.C.**, dated December 10, 2021 :

No. 4968/VI-P-9-21-20(10)(16)/88T.C.

Lucknow : dated, December 10, 2021

In exercise of the power under Section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Governor is pleased to appoint with effect from date December 13, 2021 to December 17, 2021 all the Superintendents of the Centres of All India Trade Test Examination December, 2021 (ANNUAL SYSTEM/DUAL SYSTEM OF TRAINING) of Practical and Technical Art of State Trade Training Institute as Executive Magistrates, to be know as Special Executive Magistrate and to confer on them all the powers of the Executive Magistrates as are conferrable under the said code on such Executive Magistrate, to be exercised within the limits of the respective centres of which they are the Superintendents.

By order,
B. D. PAULSON,
Secretary.